O/O - 227

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं.ए-31015/3/2024-मा.सं.प्र-III/22 दिनांक: 14.01.2026

कार्यालय आदेश

विषय: डी.आर. कोटा के तहत भर्ती किए गए सहायक अनुभाग अधिकारियों की परिवीक्षा एवं स्थायीकरण की स्वीकृति।

05.01.2026 को हुई विभागीय स्थायीकरण समिति (डीसीसी) की सिफारिश के आधार पर, जिसमें सीधे भर्ती किए गए सहायक अनुभाग अधिकारी के परिवीक्षा के संतोषजनक पूरा होने और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 पद (पूर्व-संशोधित 9300-34800/- ग्रेड पे 4600/- रुपए) में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति पर विचार किया गया, अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्यालय), मानव संसाधन, द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथियों से सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	तैनाती का स्थान	पुष्टि की तिथि
1.	पिसुपति साई दीप्ति	आ.का., हुब्बल्ली	20-02-2024
2.	तेजावत रवीन्द्र नाथ टैगोर	पीडीनास	07-09-2022
3.	गोन अजय कुमार	पीडीनास	01-09-2022
4.	मनोज कुमार	पीडीनास	20-02-2024
5.	स्नेहित गंडुरी	आ.का., तेलंगाना	20-02-2024
6.	पारुल सिंह घुनावत	मुख्यालय	20-02-2024
7.	गौरव रंजन	आ.का., बिहार एवं झारखंड	01-09-2022
8.	प्रोनोजीत साह	मुख्यालय	19-02-2024
9.	मैरीशा मिनाक्षी	मुख्यालय	15-09-2022

10.	संदीप कुमार पॉल	मुख्यालय	20-02-2024
11.	संजीव कुमार सिंह	मुख्यालय	22-07-2024
12.	अभिषेक गुप्ता	मुख्यालय	22-07-2024

2. उपर्युक्त सूची पूर्णतः वरिष्ठता के क्रम में नहीं है और इसे सहायक अनुभाग अधिकारी की वरिष्ठता सूची के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा, जहां भी स्थायीकरण की तिथि नौकरी ज्वाइन करने के दो वर्ष बाद पुष्टि की तिथि है, वहां दो वर्ष से अधिक की अवधि को परिवीक्षा अवधि का विस्तार माना जाएगा।

3. उपर्युक्त सहायक अनुभाग अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर लागू पेंशन नियमों का पालन करने वाले सरकारी विभागों/राज्य सरकारों में दी गई उनकी पिछली सेवा/रोजगार की गणना करने तथा जहां नियमों के अंतर्गत लागू हो, वहां ऐसी नौकरी/रोजगार को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत अर्हक सेवा मानने के लिए, इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर उचित माध्यम से अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय), मानव संसाधन को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन स्वतः पूर्ण होना चाहिए, जिसमें नौकरी/ रोजगार की ज़रूरी जानकारी, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी का पता, प्राप्त अंतिम लाभ आदि शामिल होना चाहिए, साथ ही उपर्युक्त नियमों के अनुसार राशि जमा करने का वचन दिया गया हो।

[अ.के.आ.(मुख्या.) मा.सं.प्र के अनुमोदन से जारी]

(मनीष मणि)
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (मा.सं.प्र)

सेवा में,

सभी संबंधित अधिकारी।

[अ.के.आ.(मुख्या.)/संबंधित अंचल के प्रभारी अ.के.आ./ अ.के.आ. (प्र. से प्र.) के माध्यम]

प्रतिलिपि:

1. अ.के.आ (मुख्या.)/ संबंधित आंचलिक कार्यालय के प्रभारी अ.के.आ/ अ.के.आ प्र.से प्र से अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों की सर्विस बुक में प्रविष्टि करें और इस आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्तिगत फाइल में रखें।

2. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव ।
3. सभी अ.के.आ (मुख्या.)/ अ.के.आ (अंचल)।
4. मुख्यालय के सभी अ.के.आ (मुख्या.)/ अ.के.आ
5. निदेशक (पीडीनास)- सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
6. वि.सला. एवं मु.ले.अधि./मु.सत.अधि./मुख्य अभियंता/सभी अ.के.आ(मुख्या.) के प्रधान निजी सचिव।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी
8. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ क्षे.भ.नि.आ. (प्र. से प्र.), मुख्यालय
9. क्षे.भ.नि.आ., एनडीसी, नई दिल्ली
10. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखापरीक्षा दल/ आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
11. संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत फाइल।
12. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय/ गार्ड फाइल।

(मनीष मणि)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (मा.सं.प्र)